

— १६ पोस्ट के अन्तर्गत डाक  
के नगद भुगतान (बिना डाक  
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक  
जी. 2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.  
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



Mobile Tower Power

पंजीयन क्रमांक  
छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 सितम्बर 2010—आश्विन 3, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 सितम्बर 2010

## अधिसूचना

क्रमांक 5062/1405/18/2010.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 317-अ सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

## नियम

### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—

- (1) ये नियम "छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (सेल्यूलर मोबाईल फोन के लिये अस्थाई टावर या संरचना का निर्माण) नियम 2010" कहलाएंगे.
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

परिभाषाएं :— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961)

- (2) "आवेदक" से अभिप्रेत है, कोई भी आवेदक जो किसी संस्था या कम्पनी का अधिकृत प्रतिनिधि यथा अध्यक्ष, सचिव, जनरल मैनेजर या किसी अन्य पदनाम का हो, जो किसी नगरपालिका क्षेत्र में दूरसेवार के प्रयोजन हेतु टावर/रिले स्टेशन स्थापित करने हेतु इच्छा रखता हो.



- (3) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, किसी नगरपालिका निगम का आयुक्त।
- (4) "मुख्य नगरपालिका अधिकारी" से अभिप्रेत है, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत का मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
- (5) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, नगर निगम के मामलों में आयुक्त एवं नगरपालिका परिषद् तथा नगर पंचायत के मामलों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी।
- (6) "प्रारूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों के संलग्न प्रारूप (प्रारूपों)।
- (7) "शासन" से अभिप्रेत है, राज्य शासन।
- (8) "नगरपालिका क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र जो किसी नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की सीमा के भीतर आता हो।
- (9) "नगर पालिका" से अभिप्रेत है, तत्समय विद्यमान नगरपालिका निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत।
- (10) "अधिभोगी" से अभिप्रेत है, किसी भी भूमि या भवन का स्वामी।
- (11) "अनुज्ञा" से अभिप्रेत है, इन नियमों से सुसंगत एवं उसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली/प्रदान की गई, कोई भी अनुज्ञा अनुमति।
- (12) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा स्थान जो निजी सम्पत्ति न हो और जो जनता के उपयोग के लिए खुला हो चाहे ऐसा स्थान नगरपालिका में वेष्टित हो या न हो।
- (13) "टॉवर" से अभिप्रेत है, सेल्यूलर फोन दूरसंचार प्रणाली हेतु स्थापित कोई अस्थायी टॉवर/संरचना।

3. विस्तार तथा लागू होना :— ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त नगरपालिका निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों प्रवृत्त होंगे।

4. टॉवर स्थापित करने अथवा उसके नवीनीकरण हेतु आवेदक, प्रारूप-"एक" में आवेदन नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करेगा, जिसमें साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे :—

- (1) भवन स्वामी की सहमति तथा उसके साथ करारनामा।
- (2) इन नियमों द्वारा यथा विहित अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क जमा करने के साक्ष्य स्वरूप रसीद।
- (3) रिक्त भूमि में टॉवर स्थापित किया जाना प्रस्तावित होने की दशा में भूमि स्वामी की सहमति तथा उसके साथ करारनामा।
- (4) टॉवर की स्थापना हेतु भवन तथा टॉवर की सम्बद्ध ड्राइंग तथा संरचनात्मक सुरक्षा (स्ट्रक्चरल सेफ्टी) व स्थिरता से संबंधित प्रमाण पत्र किसी क्वालीफाईड स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कराना, जो निम्नलिखित किसी संस्था का हो :—

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर।

2. किसी भी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रमाण पत्र।

अन्य कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

(5) हाईटेशन विद्युत लाइन के समीप टॉवर होने की स्थिति में यथार्थ दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

(6) क्षतिपूर्ति बंधपत्र में यह स्पष्ट वर्णित होना चाहिए कि आवेदक, किसी भी हानि या कारित क्षति या किसी सिविल या आपराधिक कार्यवाहियों के परिणाम के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।



- (7) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, वहाँ सर्विस प्रदायकता एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया के एयर ट्रेफिक कंट्रोलर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त तथा प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार प्राचीन/ऐतिहासिक इमारतों के पास टॉवर स्थापित करने की दशा में पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर संलग्न करना होगा।
- (8) संबंधित भवनों तथा मंत्रालय, विधान सभा, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर टॉवर संस्थापित किया जाना प्रस्तावित होने की स्थिति में संबंधित विभाग, गृह विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेंगे तथा उसे संलग्न करना होगा।
- (9) प्रत्येक टॉवर/रिले स्टेशन के ऊपर लालबत्ती सिग्नल स्थापित किया जाना चाहिए और प्रत्येक टॉवर रिले स्टेशन के लिए तर्जित चालक यंत्र (लाईटनिंग कन्डक्टर) स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ii) अग्नि दुर्घटना से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (iii) टॉवर के पास लगे जनरेटर सेट द्वारा उत्पन्न वायु तथा ध्वनि प्रदूषण छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के मानदंड के अनुसार निश्चित होना चाहिए।

अनुज्ञा शुल्क/नवीनीकरण शुल्क तथा जहाँ हो, वहाँ समझौता शुल्क निम्नानुसार होगा :—

नगर पालिका	अनुज्ञा शुल्क (एक बार)	वार्षिक नवीनीकरण शुल्क	समझौता शुल्क
नगरपालिका निगम	रु. 75,000/-	रु. 15,000/-	अनुमति शुल्क का 15
नगरपालिका परिषद्	रु. 50,000/-	रु. 10,000/-	से 50 गुणा।
नगर पंचायत	रु. 25,000/-	रु. 5,000/-	

पश्चानवर्ती वर्षों के लिए नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद् अथवा नगर पंचायत के द्वारा यथा स्थिति प्रभावित किये जाने वाली अनुज्ञा शुल्क, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क तथा समझौता शुल्क में राज्य शासन समय-समय पर वृद्धि कर सकेगा।

टॉवर (एन्टेंना) की स्थापना संबंधी शिफारयत प्राप्त होने की दशा में उसे जांच पड़ताल (अनुसंधान) हेतु महानिदेशक, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और महासचिव, एसोसिएशन ऑफ बेसिक टेलीकॉम सर्विसेस को निर्दिष्ट किया जावेगा एवं उनसे प्राप्त अनुशंसाओं के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

इन नियमों के अंतर्गत स्वीकृत की गई किसी भी अनुज्ञा के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 तथा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933 के अंतर्गत जारी किसी आदेश को प्रभावित करेगी।

स्थानीय नगरीय निकाय को समस्त ऐसे टॉवरों/संरचनाओं पर कार्यवाही करने एवं उसे हटाने का अधिकार होगा, जिसे जनहित एवं सुरक्षा या नियमों के विरुद्ध समझा जाये।

प्रस्तावित टॉवर के आस-पास यदि कोई उच्च दाब, विद्युत लाईन या निम्न दाब विद्युत लाईन या विद्युत के वितरण के लिए प्रयुक्त कोई अन्य विद्युत लाईन होने की दशा में उक्त विद्युत लाईनों तथा प्रस्तावित टॉवरों के बीच में सुरक्षित दूरी को बनाये रखने का दायित्व आवेदक का होगा जैसा कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित किया जाये।

भवनों पर टॉवर स्थापित करने हेतु समस्त अन्य शर्तों के पालन होने के पश्चात् नगर पालिका से अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। बिना अनुज्ञा प्राप्त भवनों पर यदि टॉवर लगाया जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे टॉवर (टॉवरों) को विधि सम्मत प्रक्रिया के अधीन हटाये जाने के दौरान हुए किसी नुकसान के लिये नगर पालिका जिम्मेदार नहीं होगा तथा इस संबंध में सेल्यूलर ऑपरेटर, नगर पालिका को क्षतिपूर्ति करेगा।

शैक्षणिक संस्थानों तथा अस्पतालों/डिस्पेंसरी द्वारा प्रयुक्त भवनों में टॉवर की स्थापना के लिए अनुज्ञा स्वीकृत नहीं की जायेगी।



14. मोबाईल टॉवर/रिले टॉवर लगाने हेतु आरक्षित 10 प्रतिशत भूमि तथा मार्गों के लिये चिह्नित भूमि के अंतर्गत पार्क, खुले स्थानों के आरक्षित भूमि को छोड़कर किसी भी खुली भूमि के संबंध में अनुज्ञा स्वीकृत की जा सकती है, किसी योजना के अंतर्गत 10 प्रतिशत आरक्षित भूमि पार्क/खुले स्थान के संबंध में अनुज्ञा स्वीकृत नहीं की जायेगी.
  15. अनुज्ञा का प्रमाणपत्र, इन नियमों के संलग्न प्रारूप-दो में जारी किया जायेगा तथा नगरपालिका को यह अधिकार होगा कि कोई स्था-परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अन्य शर्त आरोपित करें. आवेदक, नगर पालिका द्वारा समय-समय पर जारी सम्पूर्ण निर्देशों पालन करने के लिए बाध्य होगा.
  16. अनुज्ञा की स्वीकृति आवेदन के अमान्य किये जाने की दशा में नियम 6 के अधीन जमा किये गये अनुज्ञा शुल्क की राशि, उसमें से प्रतिशत राशि की कटौती करने के पश्चात् आवेदक को वापस की जाएगी.
  17. इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी कोई भी आदेश या निर्देश, इन नियमों के अंतर्गत जारी आदेश या निर्देश समझे जायेंगे, जहां त इन नियमों से असंगत न हो.
- परन्तु, ऐसे नियमों के अधीन जारी किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अंतर्गत जारी किया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.
18. टॉवर का अधिकतम उपयोग और क्षेत्र में टॉवरों की संख्या कम करने की दृष्टि से, एकल टॉवर पर उसी या अन्य कम्पनी के द्वारा ए से अधिक एरियल (एन्टेना) संस्थापित किया जा सकेगा. ऐसी दशा में प्रत्येक इच्छुक कम्पनी को, विद्यमान टॉवर में अपने एरियल (एन्टेना) संस्थापित करने हेतु नियम 6 के अंतर्गत विहित अनुज्ञा शुल्क का 60 प्रतिशत जमा करने के पश्चात् नगर पालिका से अग्रि अनुमति अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा, नवीनीकरण शुल्क की गणना भी तदनुसार होगी.
  19. केबल लाईन बिछाने हेतु सड़क खोदने की अनुमति देने तथा टॉवर स्थापित करने हेतु अनुज्ञा स्वीकृत के लिए सक्षम प्राधिकारी सशत होंगे.
  20. यदि नगर पालिका आवेदन की प्रस्तुति के दो माह के भीतर अपने निर्णय से आवेदक को संसृचित करने में असफल रहती है तो यह मान लिया जायेगा कि अनुज्ञा दे दी गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमित कटारिया, उप-सचिव.



प्रारूप-एक  
(देखिये नियम 4)

सेल्यूलर फोन के लिये टावर स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

1. आयुक्त  
नगर पालिक निगम,  
.....
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत  
.....

1. मैं/हम मेसर्स ..... की ओर से आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि हैं और निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करते हैं.

1. नियम ..... के अंतर्गत निकाय क्षेत्र में सेल्यूलर फोन टावर स्थापना की अनुमति हेतु.
2. विद्यमान अनुमति क्र. .... दिनांक ..... जो दिनांक ..... को समाप्त हो रही हो के नवीनीकरण हेतु.
3. विद्यमान टावर/में अतिरिक्त एन्टीना लगाये जाने की अनुमति हेतु.

2. आवेदन के समर्थन में निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है:

- 1 आवेदक का पूरा नाम पता एवं संपर्क सूत्र
- 2 संरचना
- 3 व्यवसाय का विवरण
- 4 आयकर पैन नम्बर
- 5 आवेदक के स्थानीय प्रतिनिधि का पता एवं फोन नम्बर
- 6 भारत सरकार द्वारा जारी संचार सेवा प्रदाता का पंजीयन संबंधी विवरण
- 7 टावर स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल का विवरण
- 8 यदि प्रस्तावित स्थल संवेदनशील है तो उसका विवरण
- 9 टावर स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल/भवन का विवरण
- 10 प्रस्तावित स्थल/भवन के भूमि स्वामी/भवन स्वामी का नाम एवं पता
- 11 प्रस्तावित टावर का भौतिक मानदंड



- 12 यदि विद्यमान टॉवर में अतिरिक्त एन्टीना प्रस्तावित हो तो—  
(अ) विद्यमान टॉवर का विवरण एवं अनुज्ञा संबंधी विवरण
- 13 प्रस्तावित स्थल एवं आम पास गुजरने वाली एच.टी./एल.टी. ओवरहेड लाईन एवं सर्विस लाईन का विवरण.
- 14 टॉवर के साथ स्थापित किए जाने वाले जनरेटर व अन्य सहायक उपकरणों का विवरण.
- 15 आवेदन के साथ संलग्नकों का विवरण
- 16 जमा कराए गए अनुज्ञा/नवीनीकरण शुल्क का विवरण
- 17 अन्य कोई जानकारी जो आवेदक उपलब्ध कराना चाहें

मेरे/हमारे द्वारा नियमों को पढ़कर समझ लिया गया है एवं उनका पालन करने के लिए बाध्य है. उपरोक्त हमारे द्वारा प्रदाय की गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सही एवं सत्य है.

भवदीय

आवेदक/प्रतिनिधि का नाम  
पदनाम एवं सील सहित हस्ताक्षर

प्रारूप-दो  
(देखिये नियम 17)

अनुज्ञा प्रमाण-पत्र

अनुज्ञा क्रमांक .....

..... के अंतर्गत श्री/मेमर्स ..... का सेव्युलर फोन  
ज के स्थापित किए जाने हेतु निम्नलिखित स्थान और नियम शर्तों के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान की जाती है :-

1. टॉवर की स्थिति

अनुज्ञा की नियम एवं शर्तें

1.

2.

3.

4.

5.

6.

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील



## क्षतिपूर्ति बंधपत्र

मैं ..... आत्मज .....  
 निवासी ..... में .....  
 की ओर से यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र निम्नादित करता हूँ. यह है मेरे द्वारा श्री ..... के भूखंड  
 जो कि ..... में खसरा क्रमांक ..... में .....  
 स्थित है, पर सेल्यूलर टावर स्थापित करने हेतु भूखंड/भवन स्वामी की सहमति के साथ आयुक्त नगर पालिक निगम .....  
 मुख्य नगर पालिका अधिकारी ..... के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

यह कि सेल्यूलर टावर स्थापना की अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु मैं यह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना हूँ कि नगर पालिक निगम/नगर  
 पालिका/नगर पंचायत को किसी न्यायालयों/संवैधानिक संस्थाओं में परिवाद की स्थिति से मुक्त रहेगा एवं अग्नि दुर्घटनाओं या कर्मचारियों की  
 लापरवाही और प्राकृतिक/अन्य कारणों से उत्पन्न आपदा/दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति, हानि टूट-फूट से हुए नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी.

मैं यह भी अभिलिखित करता हूँ कि क्षतिपूर्ति बंधपत्र की उपरोक्त नियम/शर्तों का पालन करने हेतु कंपनी बाध्य रहेगी.

हस्ताक्षर/सील

आवेदक/आधिकृत प्रतिनिधि

फर्म/कंपनी

(पचास रुपये के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित)